


भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: १८.११.२०२१

विषय: कीटविज्ञानी के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना (गैर चिकित्सा) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में। दिनांक 13.10.2015, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), दिल्ली - 110 054 में एंटोमोलॉजिस्ट (गैर चिकित्सा) के पद के लिए भर्ती नियम आदि युक्त मसौदा अधिसूचना संलग्न हैं।

2. मसौदा भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हितधारक, श्री ((मनीष कुमार), अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय को मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा लिख सकते हैं। एवं परिवार कल्याण, कमरा नं. 752-A विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011 या ई-मेल पता manish.kr01@gov.in, publicheath2@yahoo.com



(मनीष कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 011 23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली,

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में (श्रेणी-क पद) भर्ती नियम 1980, जब तक ये नियम एंटोमोलॉजिस्ट (गैर चिकित्सा) (कम.सं. 3) के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एन.सी.डी.सी. दिल्ली में एंटोमोलॉजिस्ट (गैर चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. - संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एंटोमोलॉजिस्ट (गैर चिकित्सा) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम-2021 .

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदों के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आयोग्यता - वह व्यक्ति-

क जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;
या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।



मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 011 23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
एंटीमोलॉजिस्ट	1. (2021)*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिविय	वेतन स्तर-11; (रुपय- 67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
पदोन्नति : उप सहायक निदेशक (एंटीमोलॉजी) वेतन स्तर -10 के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (इन सीटु पदोन्नति के नियम 1990 के अंतर्गत) सदृश ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, यू.पी.एस.सी. - चेयरमेन 2. अति. सचिव/संयुक्त सचिव, स्वा.एवं परि.कल्याण मंत्रालय-----सदस्य 2. उप महानिदेशक/अति.महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय-----सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

फ़ाइल। संकीटविज्ञानी पीआरसी-2019/1/12018.ए.)



(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष - 011 23063068

(मनीष कुमार)
(Manish Kumar)
अवर सचिव
Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011